

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग-२०२२

क्र. प्र.गा.स./2021/

दिनांक : 26.06.23

निर्णय:-

प्रार्थी श्री...नोरंगलाल.....पुत्र/पुत्री/पत्नी...नावलकिशोर.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम...शागासर.....पटवार मण्डल...ढाडर.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2070-73.....के खाता संख्या...68.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...पिता का नाम भोलाराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से...नावलकिशोर.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का...ढाडर.....से करवाने पर पटवारी ने प्रार्थी के पिता का नाम भोलाराम...के
बजाय...नावलकिशोर.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में...भोलाराम.....
के बजाय...नावलकिशोर.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम...शागासर.....
के खाता संख्या...68.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...पिता का नाम भोलाराम
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से...नावलकिशोर.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

